न्यायालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

अपील अन्तर्गत नियम 21 राजस्थान पंचायत (निर्वाचन) नियम 1994

प्रकरणं सं0 1 /2020

अनवानी नानक मिढा पुत्र शोभराज जाति अरोड़ा मिढा निवासी वार्ड नं 9, चक 24 ए एस सी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

बनाम

स्टेट जरिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत), घड़साना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.01.2020

पत्रावली पेश हुई। नानक मिढा की ओर से श्री जगमोहन आहुजा, अभिभाषक एवं अप्रार्थी सहायक निर्वाचन अधिकारी श्री दानाराम उपस्थित है। **संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है** कि

अपीलार्थी नानक मिढा पुत्र शोभराज मिढा के अनुसार उसके द्वारा वार्ड नं. 12. ग्राम पंचायत 3 एसटीआर की मतदाता सूची से अपना अपना वोट कटवाकर वार्ड नं 9 ग्राम पंचायत 24 एएस''सी'' में वोट बनवाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, घडसाना को प्रस्तुत किये जो बाद जांच उनके द्वारा अपीलार्थी नानक मिढा के ग्राम पंचायत 24 एएस''सी'' में वोट जोड़ने/बनाने सम्बन्धी आवेदन पत्र खारिज कर दिये, जिसकी अप्रसन्नता से **यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।**

सर्वप्रथम एडमिशन के बिन्दु पर दोनों पक्षों को सुना गया। रेस्पोडेंट की ओर से एडमिशन के बिन्दु पर कोई आपत्ति नहीं होने के कारण अपील अन्दर मियाद ग्रहण की जाती है। इसलिए गुण दोष पर निर्णय किया जाना उचित होगा।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषकगण एवं रेस्पोडेंट सहायक निर्वाचन अधिकारी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक श्री जगमोहन आहुजा ने कथन किया है कि कालान्तर में अपीलांट ग्राम पंचायत 24 एएस''सी'' एक ही पंचायत थी और निर्वाचन विभाग द्वारा नई पंचायत गठन की प्रक्रिया बनाकर 24 ए एस''सी'' ग्राम पंचायत के क्षेत्र में दो ग्राम पंचायतों का गठन किया

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

गया, जिनमें एक 24 एएस''सी'' ही कायम रखी गई जबकि दूसरी पंचायत 3 एसटीआर का गठन किया गया तथा अपीलांट का मतदाता सूची में नाम 3 एसटीआर की पंचायत के वार्ड नं 12 में गलत रूप से दर्ज कर दिया गया जबकि वास्तव में अपीलांट 24 एएससी के वार्ड नं 9 में निवास करता है। इसलिए अपीलांट ने दिनांक 13.12.2019 को प्ररूप संख्या 1 भरकर चक 3 एसटीआर से 24 एएस''सी'' के वार्ड नं 9 में नाम सम्मिलित किये जाने का निर्धारित अवधि में निवेदन किया और प्ररूप संख्या 2 में ग्राम पंचायत 3 एसटीआर के वार्ड न. 12 से वोट कटवाने के लिए निर्धारित अवधि दिनांक 13.12.2019 में आवेदन पत्र पेश किया था। जिस पर सम्बन्धित प्रगणक ने जांच कर रिपोर्ट की तथा प्ररूप संख्या 2 में आवेदन पर की गई कार्यवाही के ब्यौरे में यह अंकित किया कि **''मतदाता यहां से अन्यत्र पंचायत में पलायन कर चुके है और अपना वोट वहां बनवाना चाहते है, इनका वोट काटा जाना उचित है''** इसी प्रकार प्ररूप संख्या 1 में आवेदन पर भी की गई कार्यवाही के ब्यौरे के खाना में भी प्रगणक द्वारा निम्नप्रकार से रिपोर्ट अंकित की गई है :

''प्रार्थी भारत का नागरिक है, वार्ड संख्या 9 में सामान्य रूप से निवास करता है, अतः आवास के आधार पर मत बनाया जाना उचित है। इसके बावजूद भी उसका आवेदन पत्र कांट छांट करके गलत तरीके से खारिज कर दिया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि अपीलांट ने प्ररूप संख्या 1 के साथ पंचायत वृत 24 एएस''सी'' वार्ड नं 9 में निवास करने के सम्बन्ध में ना केवल राशन कार्ड की प्रति बल्कि सरपंच ग्राम पंचायत 24 एएस''सी'' द्वारा जारी पहचान व निवास प्रमाण पत्र भी पेश किया, जिसमें पुराना वार्ड संख्या 20 जो कि वर्तमान में नई पंचायत के गठन करने पर वार्ड नं 9 बना है, प्रमाण पत्र से भी स्पष्ट था कि अपीलांट ग्राम पंचायत 24 एएस''सी'' क्षेत्र में

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

गत दो वर्षो से निवास कर रहा। अतः अपीलार्थी का ग्राम पंचायत 24 एएस''सी'' के वार्ड नं. 9 में वोट बनाने सम्बन्धी वार्ड न. 9 के प्रगणक द्वारा की गई रिपोर्ट सही थी। इसलिए उसका नाम ग्राम पंचायत 24 एएस''सी'' के वार्ड नं. 9 में शामिल करना चाहिए था।

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त ग्राम पंचायत 24 एएस''सी'' के वार्ड नं 9 में अपीलांट का नाम जोडने एवं चक 3 एसटीआर के वार्ड नं 12 से नाम कटवाने में किसी व्यक्ति की कोई आपत्ति न होने के बावजदू भी राजनैतिक प्रभाव आदि के कारण प्ररूप संख्या 1 पर मतदाता सूची मे नाम ना जोड़ने की नियत से जानबूझकर कांट छांटकर, दबाव में रिपोर्ट करवाकर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया, जो गैर कानूनी है।

उनका आगे यह भी कथन है कि जब उसका नाम 3 एसटीआर के वार्ड नं. 12 से नाम काटने सम्बन्धी उसे रसीद जारी कर दी है तो उसका नाम वहां से कट चुका है। इसलिए अपीलार्थी का वोट ग्राम पंचायत 24 एएस''सी'' में जोड़ा जाना चाहिए था। जो न जोड़कर कानूनी भूल की है। इसलिए उसकी अपील स्वीकार की जानी चाहिए।

उनका आगे यह भी कथन है कि तहसीलदार, घड़साना का यह कहना कि उनके द्वारा निर्धारित अवधि में प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है, सही नही है, परिणामस्वरूप उनके द्वारा अपील पत्र के साथ सम्बन्धित प्ररूप 1 व 2 की फोटो प्रति मय रसीदें पेश की है। जिसके आधार पर तहसीलदार, घडसाना द्वारा की गई जांच तथ्यों के विपरीत है। इसलिए उसकी अपील स्वीकार करके निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी का आदेश निरस्त किया जावे और उसका नाम 24 एएस''सी'' के वार्ड नं. 9 में जोड़ा जावे।

इसके विपरीत रेस्पोडेंट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदधिकारी, घड़साना **की ओर से** सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदधिकारी एवं तहसीलदार, घड़साना उपस्थित हुए और कथन किया है कि वोट बनवाने/कटवाने के

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

लिए निर्धारित दिनांक 13.12.2019 तक आवेदन किया जा सकता था। प्रगणक ग्राम पंचायत 24 एएस''सी'' के वार्ड नं 9 में जो नाम सम्मिलित करने सम्बन्धी जो दावे सम्बन्धित व्यक्तियों के प्राप्त हुए है उसमें 11 व्यक्तियों के नाम सम्मिलित है, जिसमें अपीलांट नानक मिढा का नाम सम्मिलित नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि दिनांक 13.12.2019 तक अपीलार्थी ने कोई प्रार्थना पत्र नाम जुड़वाने/कटवाने बाबत पेश नहीं किया था, इसलिए आई.टी. सैल के प्रोग्रामर के द्वारा ई–सूची पर अपीलांट का नाम अपलोड नहीं किया गया था जो सम्भवतः किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ग्राम पंचायत 24 एएस–सी के फार्मों के साथ जानबूझकर बाद में सम्मिलित किया गया है। प्रगणक की प्ररूप संख्या–1 पर की गई रिपोर्ट के अनुसार भी नानक मिढा ग्राम पंचायत 24 एएस''सी'' में निवास नहीं करता है, के आधार पर सहायक निर्वाचन अधिकारी, घड़साना द्वारा भी आवेदन पत्र निरस्त करने की अनुशंसा की है। अपीलार्थी का प्ररूप संख्या 2 का आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु इसकी रसीद अवश्य है जिसे आवेदक का चक 3 एसटीआर से नाम काटे जाने का निर्णय नहीं माना जा सकता। प्रार्थना पत्र पर अलग से जांच की जाती है। अपीलार्थी के पास रसीद होने से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि उसका नाम 3 एसटीआर की वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। इसलिए अपीलार्थी नाम काटे जाने सम्बन्धी रसीद का कोई लाभ नहीं ले सकता। अतः आवेदन पत्र प्ररूप–2 प्राप्त न होने के कारण अपीलार्थी का नाम 3 एसटीआर से काटा नहीं गया है। इसलिए उसका नाम 24 एएस''सी'' में सम्मिलित होना नहीं माना जा सकता। इसलिए उसकी अपील खारिज की जावे।

उनका आगे यह भी कथन है कि नानक मिढा के वोट विधानसभा, अनूपगढ के निर्वाचक नामावली, 2019 राजस्थान भाग संख्या 128 के क्रम संख्या 580 पर अपीलार्थी स्वयं नानक मिढा का नाम अंकित है, क्रमांक 582 पर पत्नी कान्ता रानी पत्नी नानक मिढा का नाम अंकित है, क्रमांक 581 पर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रेषित पुत्री रोशनलाल अंकित है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट नानक मिढा अपने परिवार सहित ग्राम पंचायत 3 एसटीआर के वार्ड नं 12 में निवास करता है न कि चक 24 ए एस ''सी'' में निवास करता है। सम्भवतः चक 3 एसटीआर से आरक्षण की लॉटरी दिनांक 16.12.2019 को जारी होने के पश्चात ही चक 24 एएस''सी'' में सम्बन्धित कर्मचारियों से मिलीभगत कर नाम जुड़वाने का प्रयास किया गया है। जिसकी पुष्टि सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की जांच रिपोर्ट दिनांक 31.12.2019 से होती है। अतः अपील खारिज की जावे।

मैनें दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों पर मनन किया और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 03.01.2020 एवं उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने ग्राम पंचायत 3 एसटीआर के वार्ड नं 12 से अपना वोट कटवाने एवं उसके स्थान पर 24 एएस''सी'' के वार्ड नं. 9 में अपना वोट जुड़वाने की प्रार्थना की, जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, घडसाना द्वारा बाद जांच अस्वीकार कर दी गई हैं, जिसके विरूद्ध उक्त अपील पेश की गई है।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर कांट छांट की गई है, जो नहीं की जानी चाहिए। अलग से आदेश पारित किया जा सकता था। अपीलार्थी के अनुसार उसके द्वारा 3 एसटीआर के वार्ड नं 12 से अपना नाम कटवाकर चक 24 एएस''सी'' के वार्ड नं 9 में नाम सम्मिलित करने हेतु प्ररूप–1 में प्रार्थना की थी और कटवाने के लिए प्ररूप–2 भी पेश किया था। प्ररूप–2 की रसीद भी उसने पेश की है। किन्तु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, घड़साना के द्वारा जवाब दिनांक 03.01. 2020 एवं उसके द्वारा संलग्न तहसीलदार, घड़साना द्वारा संलग्न जांच रिपोर्ट

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

दिनांक 31.12.2019 एवं उसके द्वारा संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तो पाया कि चक 24 एएस''सी'' के वार्ड नं. 9, **जिसमें दिनांक 08.12.2019 से 13.12.2019 तक कुल 11 आवेदन पत्र प्ररूप–1 में नाम सम्मिलित करने के लिए प्राप्त हुए थे, जिनमें आवेदक अपीलार्थी का उक्त ग्यारह व्यक्तियों की सूची में नाम सम्मिलित नहीं था जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा निर्धारित तिथि 13.12.2019 तक या दिनांक 13.12.2019 तक आवेदन पत्र प्ररूप–1 प्रगणक को जमा नही करवाया गया था। जिसके कारण आवेदक का फार्म आईटी सैल के प्रोग्रामर के द्वारा ई–सूची पर अपलोड़ नहीं किया गया था इसलिए उसका नाम ग्राम पंचातय 24 एएस''सी'' के वार्ड नं. 9 में सम्मिलित होने पर विचार नहीं हो सकता था।** दूसरा तहसीलदार, घड़साना के जांच प्रतिवेदन दिनांक 31.12.2019 के अनुसार **सम्भवतः किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जानबूझकर 24 एएस''सी'' के फार्मों के साथ उसका आवेदन पत्र मिलाया गया है।** अपीलार्थी का आवेदन पत्र : प्ररूप–2 जो चक 3एसटीआर से नाम कटवाने सम्बन्धी है, प्राप्त नही हुआ है किन्तु उसकी रसीद अवश्य है। इससे यह निष्कर्ष नहीं लिया जा सकता कि अपीालार्थी द्वारा जो आवेदन पत्र 3 एसटीआर से नाम कटवाने सम्बन्धित है, उसे स्वीकार कर लिया गया है। **अपीलार्थी द्वारा जो आवेदन पत्र चक 24 एएस''सी'' वार्ड नं. 09 मे अपना वोट बनाने/जोड़ने के लिए जो आवेदन पत्र–प्ररूप–1 में प्रस्तुत करना बताया है, उसकी रसीद भी पेश नहीं की गई है।** अगर उसके द्वारा फार्म निर्धारित समय पर पेश किया होता तो उसकी रसीद उसके साथ आवश्य पेश करता, जिससे भी तहसीलदार, घड़साना द्वारा की गई जांच में अंकित निष्कर्ष कि उसका आवेदन पत्र बाद में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पेश किया गया है, को

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

बल मिलता है। फिर भी उसका जो आवेदन पत्र प्ररूप–1 में उपलब्ध है उस पर प्रगणक द्वारा की गई जांच व **सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, घड़साना द्वारा की गई जांच के अनुसार अपीलार्थी चक 24 एएस''सी'' के वार्ड नं. 9 में निवास नहीं करता है और दूसरा उसके परिवार के सदस्यों के वोट भी 3 एसटीआर में ही भाग संख्या 128 के क्रम संख्या 580 से 582 तक बने हुए है और उनके नाम हटाने की कोई प्रार्थना नहीं की गई है, जिससे भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी 24 एएस''सी'' में निवास नहीं करता है। निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा भी प्रार्थी से उसकी पत्नी कांता मिढा का मोबाईल नम्बर उसके निवास के सम्बन्ध में सत्यता जांचने हेतु चाहा गया, तो अपीलांट द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया ।** जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट 24 एएस''सी'' का निवासी नहीं है और तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन दिनांक 31.12.2019 अनुसार अपीलार्थी द्वारा चुनाव कार्य में सम्बन्धित नियुक्त कर्मचारियों से मिलीभगत करके सरपंच पद के आरक्षण की लॉटरी दिनांक 16.12.2019 के पश्चात ग्राम पंचायत 3 एसटीआर से चक 24 एएस''सी'' में नाम जुडवाने की कुचेष्टा की है, के कथन को बल मिलता है। **इसलिए तहसीलदार, घड़साना की जांच के आधार पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, घड़साना द्वारा आवेदक नानक मिढा का ग्राम पंचायत 24 एएस''सी'' में वोट बनाने सम्बन्धित जो आवेदन पत्र प्ररूप–1 खारिज किया गया है वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।**

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी नानक मिढा की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत), घड़साना द्वारा अपीलार्थी के 24 एएस''सी'' में नाम न

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जोड़ने सम्बन्धी जो आदेश पारित किया गया है वह सही है और उसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और उसे बहाल रखा जाता है। **निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत), घड़साना को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी का वोट चक 3एसटीआर में यथावत् रखा जावे। आदेश की प्रति मय उनका मूल रिकॉर्ड निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत), घडसाना को पालनार्थ भिजवाया जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर